संख्या– 2540/29–6–2007–121–सा0/98

प्रेषक,

शशांक शेखर सिंह,
मंत्रिमण्डलीय सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6

दिनांक : लखनऊ 10 अगस्त, 2007

विषय:– लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2849/29–खा–6–98–121–सा0–98, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–915/29–6–06–121सा0/98 दिनांक 21 मार्च, 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकारी संस्थाओं द्वारा मासिक आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न/चीनी की उपलब्धता प्रत्येक माह की 01 तारीख से 22 तारीख तक ब्लाक गोदामों पर उपलब्ध कराने, 23 तारीख से 30–31 तारीख तक उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न/चीनी का वितरण किये जाने, माह की पहली तारीख से 04 तारीख तक खाद्यान्न एवं चीनी का सत्यापन उचित दर दुकानदार स्तर पर कराये जाने एवं 05 तारीख से खाद्यान्न/चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण कार्ड धारकों को किये जाने हेतु रोस्टर प्रणाली निर्धारित की गई है। वर्तमान में कार्डधारकों को उपर्युक्त सामग्री का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की सतर्कता समिति एवं शहरी क्षेत्र में आपूर्ति निरीक्षक की निगरानी में कराने की व्यवस्था है।

शासन के संज्ञान में आया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कतिपय राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से खाद्यान्न/चीनी एवं मिट्टी का तेल उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं होता है। इस शिकायत के निराकरण के लिए शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कोटेदार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्डधारकों में प्रचार–प्रसार करके एक निश्चित तिथि पर [illegible]लाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षक अधिकारी का कैम्प कराकर उनकी उपस्थिति में कराया जाए।

अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वि[illegible] प्रकिया सुदृढ़ करने हेतु निम्नवत् कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

1. पर्यवेक्षणीय अधिकारी का कैम्प कराकर वितरण कराना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी के तेल को किसी शासकीय अधिकारी के पर्यवेक्षण में वितरण सुनिश्चित किया जाए।

इस हेतु जिलाधिकारियों द्वारा अपने जिले में सुविधानुसार दिनांक 05 से 15 तारीख तक कोटेदारवार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भेजकर, कैम्प कराकर वितरण कराया जाय तथा कोटेदारवार ऐसे अधिकारियों की तैनाती की जाय, जो खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी के तेल के सही एवं समय से वितरण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हों। इस हेतु जिलाधिकारी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की तैनाती करेंगे। तैनाती आदेश में उनका नाम, पदनाम, आबंटित विक्रेता तथा वितरण की तिथि भी अंकित होगी। संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारी से वितरण की पूरी रिपोर्ट भी ली जायगी। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि उपभोक्ता कार्डधारकों द्वारा खाद्यान्न आदि संबंधित उचित दर विक्रेता से मासान्त तक प्राप्त करने की स्वतंत्रता रहेगी।

जिलाधिकारी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के रूप में जनपद स्तर पर उपलब्ध जिला स्तरीय अधिकारियों, उनके अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों यथा–अवर अभियन्ता, नायब तहसीलदार, कानूनगो, ए0डी0ओ0, ए0डी0सी0ओ0, सी0डी0पी0ओ0, भूमि संरक्षण, नगर पालिका, मण्डी समिति तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की तैनाती करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कैम्प की अवधि में प्रत्येक दुकान पर वितरण के समय उस क्षेत्र का लेखपाल / ग्राम पंचायत अधिकारी भी अवश्य उपस्थित रहें।

जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं द्वारा कैम्प के माध्यम से पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में यथावश्यकतानुसार दो या तीन चरणों में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।

जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एक माह में किसी उचित दर दुकान पर जिस पर्यवेक्षणीय अधिकारी के पर्यवेक्षण में खाद्यान्न का वितरण कराया गया है, उसके द्वारा उस क्षेत्र में अगले माह यथासंभव कैम्प न कराया जाए तथा उस क्षेत्र में किसी अन्य पर्यवेक्षणीय अधिकारी को तैनात किया जाय। इस प्रकार पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी चकानुक्रम में कार्य करेंगे।

पर्यवेक्षीय अधिकारी की हर माह की तैनाती की सूची संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय व जिलाधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी।

2. कैम्प की अवधि

सामान्यतया कैम्प की अवधि एक दिन की होगी। यदि कैम्प की तिथि को सभी उपस्थित लाभार्थियों को खाद्यान्न / चीनी वितरित नहीं हो पाती है, तो संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह अगले दिन अपनी उपस्थिति में खाद्यान्न / चीनी का वितरण सुनिश्चित करायेंगे।

3. कैम्प की तिथियों की ग्राम सभा क्षेत्र में मुनादी एवं प्रचार–प्रसार

कैम्प के लिए जो तिथि निर्धारित की जायेगी, उसकी सूचना, ससमय कोटेदार को दी जाएगी व राशन कार्ड धारकों के निवास क्षेत्र (ग्रामों) में लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी / कोटेदार के माध्यम से मुनादी करा दी जाए तथा खाद्यान्न वितरण की तिथि से पहले ही व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा।

4. पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के कर्तब्य एवं उत्तरदायित्व

जिलाधिकारी द्वारा जिन पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को वितरण सुनिश्चित करने हेतु तैनात किया जायेगा, उनको उनके उत्तरदायित्व से स्पष्ट रुप से अवगत करा दिया जाए। जिन उचित दर दुकानों पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उस दुकान के खाद्यान्न, चीनी एवं मिट्टी के तेल के सही वितरण के लिए वह जिम्मेदार होंगे।

5. पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के कार्यो का रेन्डम सैम्पुलिंग के आधार पर चेकिंग

पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के साथ–साथ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु यह भी आवश्यक होगा कि आपूर्ति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों यथा उप जिलाधिकारी / ज़िला पूर्ति अधिकारी / जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाए, कैम्प द्वारा वितरण की व्यवस्था की रैन्डम सैम्पुलिंग के आधार पर चेकिंग / सत्यापन करेंगे।

रैण्डम सैम्पलिंग करने वाले क्षेत्रों में जिलाधिकारी जिन्हें उपयुक्त समझते हैं, उन्हें जॉच सौंप सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उचित दर विक्रेताओं की वितरण व्यवस्था को देखने के साथ–साथ ऐसे अधिकारीगण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के किया कलापों पर भी नजर रखेंगे।

जिलाधिकारियों द्वारा जिन वरिष्ठ अधिकारियों को रेन्डम सैम्पुलिंग के आधार पर सस्ते गल्ले की दुकानों की चेकिंग / सत्यापन करने हेतु तैनाती की जायेगी, उसकी प्रति जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

6. पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के कर्तब्यों में शिथिलता पर कार्यवाही

जिन अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य हेतु लगाई जाती है, उन अधिकारियों / कर्मचारियों के नियुक्ति / नियंत्रक अधिकारी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे उस कार्य को निष्ठापूर्वक करायें। यदि पर्यवेक्षणीय अधिकारी ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं और जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी उस कर्मचारी / अधिकारी के बारे में प्रतिकूल तथ्य लिख कर भेजते हैं तो ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित नियुक्ति / नियंत्रक अधिकारी द्वारा तत्काल विभागीय / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7. पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा वितरण की रिपोर्ट

जिन उचित दर दुकानों पर कैम्प कराकर खाद्यान्न चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा, उसके बारे में पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में उल्लिखित संलग्न निर्धारित प्रारुप–क पर गत माह की सूचनायें बिन्दु– 6 (1 से 7 के कालम में) पर एवं प्रारुप –ख पर चालू माह के कैम्प के दौरान वितरण के बारे में सूचनायें उप जिलाधिकारी व उनके माध्यम से जिलाधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी को अगले दिन प्रेषित की जायेगी।

उप जिलाधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी स्तर पर सस्ते गल्ले की दुकानवार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की रिपोर्ट संकलित करके उसकी समीक्षा की जायेगी तथा जिन सस्ते गल्ले के दुकानदारों के कार्यकलापो में अनियमितता पायी जायेगी, उनके खिलाफ संबंधित उप जिलाधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे सस्ते गल्ले के दुकानदारों पर विशेष निगाह रखते हुए समय–समय पर स्पेशल चेकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

उप जिलाधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण सब डिवीजन (ब्लाकवार) की उचित दर दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश,2001 के प्रारुप–क व संलग्न प्रारूप–ख में पर्यवेक्षण अधिकारियों से प्राप्त उपर्युक्त रिपोर्टो को संकलित कराकर प्रतिमाह वितरण व्यवस्था के संबंध में समीक्षा रिपोर्ट कृत कार्यवाही सहित जिलाधिकारी को भेजा जायेगा। इस सूचना को संकलित एवं तैयार कराने में तहसील स्तर पर तैनात खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा।

जिलाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारियों से प्राप्त ब्लाक वार सूचना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्धारित प्रारुप–ग व संलग्न प्रारूप घ पर मण्डलायुक्त को भेजी जायेगी। इस सूचना को संकलित एवं तैयार कराने में जनपद स्तर पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा।

मण्डलायुक्त अधीनस्थ जिलाधिकारियों से प्रारुप –ग व प्रारूप–घ पर प्राप्त सूचनाओं को संकलित कराकर प्रारुप–ग और घ पर ही (जनपद की जगह मण्डल अंकित करते हुए पूरे मण्डल की सूचना) आयुक्त, खाद्य एवं रसद को भिजवायेंगे। इस हेतु नोडल अधिकारी उपायुक्त, खाद्य एवं रसद होगे।

उपरोक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी के तेल के वितरण के संबंध में उक्त व्यवस्था को लागू करते हुए वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्यवाही करें तथा कोई अनियमितता अथवा शिथिलता प्राप्त होने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। यदि वितरण में किसी प्रकार की भी अनियमितता पायी जायेगी तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(शशांक शेखर सिंह)
मंत्रिमण्डलीय सचिव।

संख्या–2540(1)/29-6-07, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त,खाद्य एवं रसद उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 को इस आशय से कि वह मण्डल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश, 2001 में निर्धारित प्रारुप पर सकलित सूचनायें आयुक्त, खाद्य एवं रसद को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपायुक्त, खाद्य तथा रसद,उ0प्र0।
5. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि वह जनपद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2001 में निर्धारित प्रारुप पर संकलित सूचनायें आयुक्त, खाद्य एवं रसद को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त संभागीय/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जगन मैथ्यूज)
प्रमुख सचिव ।

प्रारूप–"क"

उचित दर की दुकान के कार्यो की रिपोर्ट

माह ..... वर्ष ....

1. राज्य का नाम————— राज्य कोड................
2. जिले का नाम .... जिला कोड ....
3. ब्लाक का नाम .... ब्लाक कोड ....
4. उचित दर की दुकान का नाम / कमांक .... उचित दर की दुकान कोड ....
5. उचित दर की दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डो की संख्या ....
   अन्त्योदय :
   बी0पी0एल0 :
   ए0पी0एल0 :
   अन्य :
   कुल :

6 :

वस्तुएं	मास के प्रारम्भ में प्रारंभिक स्टाक	माह का आंवटन	उचित दर की दुकान द्वारा वास्तव में प्राप्त मात्रा	कुल मात्रा (2+4)	वितरित मात्रा	अन्तिम स्टाक
1	2	3	4	5	6	7
चावल : अन्त्योदय बी0पी0एल0 ए0पी0एल0						
गेहूँ : अन्त्योदय बी0पी0एल0 ए0पी0एल0						
लेवी चीनी						
खाद्य तेल						
केरोसीन						

7. समीक्षात्मक रिपोर्ट

प्रारूप–ख

कैम्प लगाकर वितरण कराये जाने की आख्या

ग्राम सभा / मोहल्ला का नाम–
कोटेदार का नाम–
वितरण कराने वाले अधिकारी का नाम

तहसील का नाम
वितरण तिथि

1. क्या दुकान नामित कोटेदार द्वारा संचालित की जा रही है?
2. क्या वितरण के पूर्व मुनादी करायी गयी है?
3. क्या वितरण के समय लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सभा सतर्कता समिति के सदस्य उपस्थित थे ?
4. क्या दुकानदार द्वारा वितरण मूल्य व वितरण स्केल पेन्ट कराया गया?
5. क्या वितरण से पूर्व स्टाक का सत्यापन हो गया है ?
6. क्या बी0पी0एल0 / अन्त्योदय कार्डो की सूची उचित दर दुकान पर अंकित है?
7. बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डो की सूची में कोई अपात्र कार्ड तो नहीं है?

वितरण तिथि पर कराये गये वितरण का विवरण–

योजना	कुल कार्डधारक	लाभान्वित कार्डधारक	कुल वितरित मात्रा	विक्रीदर
अन्त्योदय				
गेहूँ				
चावल				
चीनी				
बी0पी0एल0				
गेहूँ				
चावल				
चीनी				
मिट्टी का तेल				

समीक्षात्मक टिप्पणी

वितरणकर्ता अधिकारी का
पदनाम, विभाग व हस्ताक्षर